

प्यारेलाल बनाम रामचन्द्र

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

नम्बर... 54 / 17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.17	<p>अभिभाषक अपीलांट श्री जयचन्द्र लाल सारस्वत व केवियटकर्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्ध हो। उभय पक्षों की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र सुनी गई।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया वादगत् भूमि वाके ग्राम किसमीदेसर के खसरा नम्बर 519 में 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 520 में 0.70 हेक्टर, व खसरा नम्बर 1209/1118/519 में 0.30 हेक्टर कुल किता 3 तादादी 1.38 हेक्टर भूमि दिनांक 21-11-2006 को अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि है जिसका नामान्तरण संख्या 330 दिनांक 04-12-2006 को अपीलांट के नाम स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चजा आ रहा है। जिसे बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये शहरी क्षेत्र मानकर दिनांक 05-05-12 को जरिये नामान्तरण संख्या 753 नगर विकास न्यास, बीकानेर के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 22-3-2011 को स्थगन आदेश जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोजेन्ट जबरिया कब्जा कर निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि जैर अपील रकबा से भिन्न रकबा है जिसके खसरा नम्बर 497/217 है। जिस पर नगर विकास न्यास, बीकानेर की सूर्यनगर योजना के तहत अपना भूखण्ड खरीदना बताते है, व इस आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 519, 520, 1209/1118/519 पर काबिज होकर निर्माण करना चाहते है। रेस्पोजेन्ट अपीलाधीन आदेश की आड़ में जबरदस्ती मौके पर दखलंदाजी कर रहे है, यदि उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को कब्जे से बेदखल कर निर्माण कार्य करने में सफल हो गये तो उसे कभी</p>	



राजस्थान राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसका एकमात्र नुकसान अपीलांट को होगा। अतः न्यायहित में परिस्थितियों को मद्देनजर अपीलांट का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को उक्त कृत्य से रोका जाकर वादगत् आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि सूर्यनगर योजना में खसरा नम्बर 497/217 में जरिये निलामी उनके पिता स्व. मुल्तानचन्द ने खरीद किया हुआ है। जिसका पट्टा नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा जारी किया गया। अपीलांट अगर वादगत् आराजी से व्यथित होता तो नगर विकास न्यास, बीकानेर को पक्षकार बनाता।

अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा में नगर विकास न्यास, बीकानेर को पक्षकार बनाया है। रेस्पोजेन्ट द्वारा आराजी जैर नगर विकास न्यास से खरीदशुदा भूमि है। नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा आवासीय कॉलोनी में जरिये निलामी प्लॉट रेस्पोजेन्ट के नाम आवंटन करते हुए पट्टा जारी किया गया है व कब्जा प्रदान किया है। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति की स्थिति अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होती है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

1. हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि वादगत् आराजी ग्राम किसमीदेसर के खेत खसरा नम्बर 519 में 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 520 में 0.70 हेक्टर, व खसरा नम्बर 1209/1118/519 में 0.30 हेक्टर कुल किता 3 तादादी 1.38 हेक्टर भूमि दिनांक 21-11-2006 को अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि है जिसका नामान्तरण संख्या 330 दिनांक 04-12-2006 को अपीलांट के नाम स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चजा आ रहा है। जिसे अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर नगर विकास न्यास, बीकानेर के नाम दिनांक 05-05-2012 को दर्ज किया गया। जिसके विरुद्ध पक्षकारों के मध्य विवाद अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन है। लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला



✓
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है उन्हें नगर विकास न्यास, बीकानेर की खसरा नम्बर 497/217 की सूर्यनगर योजना में जरिये निलामी आवासीय प्लॉट खरीद किया है व यूआईटी, बीकानेर द्वारा कब्जा सुपुर्द किया है। यह निर्विवाद है कि प्रकरण में विवाद की मुख्य विषयवस्तु भिन्न-भिन्न खसरा नम्बरान् है। जिसकी जॉच अदालत मातहत द्वारा की जानी आवश्यक थी। इस लिहाज से मूल वाद की आत्मा का पोषण निर्णय में नहीं हुआ है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना स्वीकार है।

3. अभिभाषक अपीलांट के कथन पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों व के अनुसार इसी आराजी से संबंधित एक अन्य वाद अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन चल रहा है। जिससे रेसज्यूडिकेसा का सिद्धान्त प्रकरण में लागू होता है। जब अदालत मातहत के समक्ष आराजी जैर से संबंधित वाद विचाराधीन था तो अदालत मातहत को अन्य पत्रावली में अस्थाई निषेधाज्ञा की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। चूंकि मामला वादगत् आराजी पर निर्माण से संबंधित है, जिससे वादगत् आराजी की किस्म में परिवर्तन की पूर्ण संभावना है। जिससे अपूरणीय क्षति अपीलांट को होगी।

4. रेस्पोजेन्ट के कथन अनुसार खसरा नम्बर 497/217 की सूर्यनगर योजना में आवासीय भूखण्ड का पट्टा नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा जारी करना बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को यूआईटी, बीकानेर को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर, उनका पक्ष सुनने के बाद कोई निर्णय पारित किया जाना था।

5. अदालत मातहत के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अपने निर्णय से पूर्व इन खसरा नम्बरान् की जॉच ना तो मौका कमिश्नर से करवाई गई ना ही संबंधित तहसीलदार से कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिससे मौके/रिकार्ड की सही स्थिति सामने लाई जा सकती। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में विवादित खसरा नम्बर 519, 520, 1209/1118/519 व खसरा नम्बर 497/217 के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया है।


6. अतः ऐसी स्थिति प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में होने से अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 519, 520, 1209/1118/519 व खसरा नम्बर 497/217 की जॉच कर, संबंधित



राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर



तहसीलदार से मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त कर, नगर विकास न्यास को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर, उनका पक्ष सुनने के पश्चात् पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। तब तक दोनों पक्ष को वादगत् आराजी के मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफतर हो।


(~~राजस्व अपील अधिकारी~~ राजस्व अपील अधिकारी)
बीकानेर।

